तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
6-9-19	वकील उभयपक्ष उप० व वास्ते बहस T.I. प्रा० पत्र हेतु पत्रावली दि० 20-9-19 को पेश हो।	
20-9-19	वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 27-9-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
27-9-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-10-19 को पेश हो। रीडर	
11-10-19	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 17-10-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
17-10-19	वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
48/2017	9.11.2017	17-10-2019

रामजीलाल पुत्र कुंजा, बैरवा निवासी बाढरामसर तह0 गंगापुर सिटी –प्रार्थी

बनाम

1. सम्पत पुत्र लक्ष्मण, बैरवा निवासी बाढरामसर तहसील गंगापुर सिटी
2. सजनी पत्नी लक्ष्मण, बैरवा निवासी बाढरामसर तहसील गंगापुर सिटी
3. सकेदी पत्नी सम्पत, बैरवा निवासी बाढरामसर तहसील गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रवि शंकर शर्मा , एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री समीर खान, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बाढरामसर तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थी एवं लक्ष्मण पुत्र कुंजा की सहखातेदारी की भूमि आराजी ख0नं0 37 रकबा 0.53 है0 व ख0नं0 38 रकबा 0.95 है0 हिस्सा 1/6, 1/6 तथा सोमवती पुत्री बंशी हिस्सा 1/2 स्थित है। उक्त आराजियात में से भूमि ख0नं0 37 रकबा 0.53 है0 20 वर्ष पूर्व प्रार्थी व लक्ष्मण पुत्र कुंजा के हिस्से में आपसी बंटवारे में आई है। तभी से प्रार्थी व सहखातेदार लक्ष्मण ने उक्त नम्बर में अपने कृषि संसाधन रखने एवं रिहायश के लिए कच्चे छप्परपोश बना लिए थे। उक्त नम्बर के पूर्व उत्तरी कोने में प्रार्थी ने तथा दक्षिणी पूर्वी कोने में लक्ष्मण ने छप्परपोश तैयार किए थे। ख0नं0 37 के दक्षिण में आम सडक हीरापुर से भरतून स्थित है। प्रार्थी तथा लक्ष्मण ने अपने पारिवारिक बंटवारे में अपनी सुविधानुसार ख0नं0 37 के दो हिस्से कर लिए थे। इसमें उत्तरी हिस्सा प्रार्थी का तथा दक्षिणी हिस्सा लक्ष्मण का रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर व कुए पर आने जाने के लिए ट्रेक्टर, हल, कुडी व सिंचाई के लिए इंजन आम सडक से लाने ले जाने का एकमात्र रास्ता 10 फीट चौडा ख0नं0 37 में बने लक्ष्मण प्रतिवादी के घर के आगे से हमेशा से रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थी 20 साल से अधिक समय से अपने हिस्से की भूमि पर आने जाने, हल बैल, कुडी आदि लाने ले जाने के प्रयोग में बिना किसी अवरोध के शांतिपूर्वक तरीके से लगातार प्रयोग में लेते आ रहा है। उक्त रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित किया है। प्रतिवादी छुट्टन कुछ समय पूर्व खाने कमाने हेतु

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

किया चला गया उसके बाद से ही अप्रार्थीगण प्रार्थी से उक्त रास्ते बाबत् झगड़ा करने लगे और उक्त रास्ते को रोक कर अवरोध पैदा करने पर आमादा हो रहे हैं। अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.9.2017 को एलानिया धमकी दी है कि उक्त रास्ते में होकर वे प्रार्थी को नहीं आने जाने देंगे व रास्ते को बंद करेंगे। उक्त रास्ते की भूमि में प्लाट काट कर अन्य दीगर व्यक्ति को बेचकर रास्ते को बंद कर देंगे। प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं0 4 व 5 सोमवती व लक्ष्मण के सहयोग से आपसी सहमति से प्रार्थी के हिस्से की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता दिया है जबकि प्रार्थी का एकमात्र रास्ता आम सडक हीरापुर से खसरा से लगता है जिसमें होकर प्रार्थी ने आने जाने में रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे वे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में भूमि ख0नं0 37 रकबा 0.53 है0 ग्राम बाढरामसर की लाल स्याही से प्रदर्शित 10 फीट चौडे रास्ते के उपयोग उपभोग में प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही रास्ते में कोई निर्माण करे तथा कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करे तथा किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता लक्ष्मण के खेत में होकर प्रार्थी के खेत में जाने का कोई रास्ता मौके पर नही है। प्रार्थी ख0नं0 37 के अपने हिस्से में आई भूमि का ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता है। दिनांक 20.10.2017 को रास्ता बन्द करने की धमकी देने का तथ्य प्रार्थी ने गलत अंकित किया है जबकि उक्त भूमि में ना तो पूर्व में रास्ता था और न अब है। इस टी0आई0 प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहता है जबकि प्रार्थी के आने जाने का रास्ता उसके स्वयं के हिस्से में होकर आम सडक से मिला हुआ है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 37 अप्रार्थी संख्या 1 के पिता लक्ष्मण एवं प्रार्थी रामजीलाल के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण को प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थी के कथनानुसार भूमि ख0नं0 37 रिहायश के उपयोग में आ रही है। इस प्रकार भूमि आबादी की श्रेणी में आती है इसलिए उक्त टी0आई0 को सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रकरण में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिसे उसका आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाए बिना यह टी0आई0 चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि टी0आई0 प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने दस्तावेज फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073, नजरी नक्शा पेश किए हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित भूमि का प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग करता आ रहा है परन्तु अब अप्रार्थीगण इस रास्ते को बन्द करने पर आमादा हैं एवं इस रास्ते की भूमि को दीगर लोगों को बेचने पर आमादा हैं। रास्ते को बन्द करने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर नहीं जा पावेगा । इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने से प्रार्थी को नहीं रोकें तथा इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी द्वारा बताया जा रहा रास्ता ना तो पहले कभी था और ना अब है। इसलिए प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है उसके बाद भी अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है जो गलत है एवं इन आधार पर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया।

फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के अनुसार भूमि ख0नं0 का रकबा 0.53 है0 ग्राम बाढरामसर सामवती पुत्री बंशी हि0 1/2, रामजीलाल पुत्र कुंजा हि0 1/6, लक्ष्मण पुत्र कुंजा, जमनी बेवा कुंजा हिस्सा 1/3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण के अनुसार यह भूमि बंटवारे में प्रार्थी व लक्ष्मण के आई है। इस तथ्य को अप्रार्थीगण ने भी स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इस नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भू–भाग रास्ते के रूप में काम आता है क्योंकि यह भू-भाग प्रार्थी के हिस्से की बताई गई भूमि से लगता हुआ है। इस विवेचन

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में जाता है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत टी0आई0 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 37 रकबा 0.53 है0 ग्राम बाढरामसर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु इस भूमि के नजरी नक्शा में प्रदर्शित लाल रंग की भूमि में होकर प्रार्थी को आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा इस लाल रंग से प्रदर्शित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 17-10-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.18 15:29:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: